

पंचायती राज मंत्रालय,

भारत संकार,

वृशि भवन, नई दिल्ली-110001

अ.भा. सं० सेक्रे(पीआर)/2015-डब्ल्यू

मार्च 2, 2015

प्रिय सचिव,

यह निर्णय लिया गया है कि मार्च 8 को महिला दिवस समारोह उपयुक्त तरीके से मनाया जाए। कृपया ग्राम पंचायतों को इस आदेश का निर्देश दें कि वे इस दिवस के उपलक्ष्य में उपयुक्त कार्यक्रमों का आयोजन करें। राज्य को यथोचित सुझाव दिए जाएं। वे समारोहों में महिला स्वयं सहायता समूहों और स्वच्छता दूतों की भागीदारी कराएं।

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

(विजय लक्ष्मी जोशी)

(जे के मोहापात्रा)

(एस एम विजयानंद)

सचिव (डीडब्ल्यू एस)

सचिव (ग्रामीण विकास)

सचिव (पंचायती राज)

सभी राज्यों के ग्रामीण जल पूर्ति एवं स्वच्छता के प्रभारी प्रधान सचिवों/सचिवों से अनुरोध है कि वे दिनांक 8 मार्च, 2015 को प्रस्तावित पंचायत बैठक में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों, महिला स्वयं सहायता समूहों, आंगनवाड़ी और आगा कामगारों, स्वच्छता दूतों, बीआरसी/सीआरसी कोऑर्डिनेटरों आदि सतही कार्यकर्ताओं की भागीदारी के लिए अपने राज्य के संबद्ध प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग से संपर्क करें।

हस्ता/-

(सत्यव्रत साहु)

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय,

भारत सरकार,

फोन : 2436 1043

फैक्स : 2436 4113

ईमेल : jstm@nic.in)